उत्तर प्रदेश

संस्कृति नीति

उत्तर प्रदेश संस्कृति नीति

संस्कृति किसी की शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, सुदृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है, जिससे यह मन, आचार–विचार, रूचियों की परिष्कृति यानि शुद्धि होती है विश्व में जो भी सर्वोत्त्म बातें जानीं समझी या कही गयी हैं उनसे अपने आपको परिचित कराना ही संस्कृति है। मानव कल्याण में सहायक सम्पूर्ण ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक गुण को संस्कृति के रूप में मान्यता प्राप्त है। 'यजुर्वेद में संस्कृति को सृष्टि माना गया है। संस्कृति का मानव जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि संस्कृति में ही मानव के संस्कार हस्तांतरित होते हैं।

उत्तर प्रदेश मानवता की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के विशाल संग्रह के लिए सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। प्राचीनता, निरन्तरता, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता, आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का अद्भुत समन्वय ही प्रदेश की बहुआयामी संस्कृति की मूल विशेषता है।

कुरू, पांचाल, काशी और कोसल राज्य वैदिक संस्कृति के प्रमुख केन्द्र रहे हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि होने के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सनातन, बौद्ध, जैन धर्मों और 'नाथ सम्प्रदाय' की समृद्ध परम्परा है। मथुरा भारतीय मूर्तिकला का जन्मस्थान प्रतीत होता है। शास्त्रीय नृत्य रूप 'कथक' की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में ही हुई है। ऐतिहासिक स्मारकों, अभिलेखों, पाण्डुलिपियों, कलाकृतियों के साथ क्रमशः ललित कलाओं, दृश्य कलाओं, एवं प्रदर्शन कलाओं की दृष्टि से भी यह प्रदेश अद्वितीय है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश हजार रंगों का राज्य है।

राष्ट्र के बहुमुखी विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। इसी कारण विश्व के अनेक देशों यथा–जर्मनी, स्वीडन, रूस आदि की अपनी संस्कृति नीति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 51 क (च) में संस्कृति की महत्ता को मान्यत देते हुए इसके संरक्षण पर बल दिया गया है। भारत द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को 'यूनेस्को कन्वेंशन–2005' की पुष्टि की गयी जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार का आह्वान करते हैं और इस मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित है कि संस्कृति सतत् विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति है। इसी अनुक्रम में राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत राज्य सरकार ने इस संस्कृति नीति को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

1. दृष्टि

प्रदेश की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को उसकी सम्पूर्ण विविधता में संरक्षित, संवर्धित, लोकप्रिय बनाना एवं विश्व में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम सांस्कृतिक गन्तव्य के रूप में स्थापित करना।

2. मिशन

उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन्त राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास हेतु इसकी सांस्कृतिक विरासत को एक प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करना।

3. उद्देश्य

(1) उत्तर प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, संवर्धित, लोकप्रिय एवं सुदृढ़ करना,

(2) संस्कृति एवं कला के समस्त रूपों को प्रोत्साहित करना;

(3) राज्य के सामान्यजन विशेषकर विद्यार्थियों एवं युवा वर्ग तक कला और सांस्कृतिक गतिविधियों की पहुँच सुनिश्चित करना;

(4) राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास और खुशी सूचकांक के एक एजेन्ट के रूप में संस्कृति की उल्लेखनीय भूमिका को उजागर करना;

(5) कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गैर सरकारी प्रयासों –व्यक्तिगत, समूह, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट क्षेत्र, व्यावसायिक घरानों को प्रोत्साहित करना;

(6) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

4. लक्ष्य

(1) प्रदेश की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण;
(2) प्रदेश का सांस्कृतिक मानचित्रण;
(3) सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन;
(4) सांस्कृतिक विरासत के प्रति जनजागरूकता का विकास;
(5) कला एवं संस्कृति के सम्यक् विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना;
(6) कला एवं संस्कृति को आजीविका/रोजी –रोटी से जोड़ना;
(7) कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में रोजगारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना;
(8) कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना;
(9) महिला, युवा, दिव्यांग एवं ट्रांसजेण्डर का सशक्तीकरण;
(10) सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना;
(11) कलाकार कल्याण।

5. रणनीति

5.1 सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण

- प्रदेश की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित उपाय किये जायेंगें :–
- राज्य संरक्षित स्मारकों का परिरक्षण और संरक्षण, प्रदेश के विविध स्थलों पर विद्यमान पुरातात्विक महत्व के स्मारकों को राज्य संरक्षित सूची में सम्मिलित करना तथा पुरातात्विक सर्वेक्षण, उत्खनन कार्य पर अधिक बल देना;
- संग्रहालयों में रखे गए संग्रह – कलाकृतियों, मूर्तियों, सिक्के, पेंटिंग्स, आभूषणों, वस्त्रों आदि का आधुनिकतम तकनीक की सहायता से सम्यक् प्रबन्धन, संरक्षण, प्रदर्शन, शोध कार्य, प्रकाशन कार्य सुनिश्चित करना। विद्यमान दीर्घाओं के उन्नयन एवं नवीन दीर्घाओं/डिजिटल गैलरी के निर्माण पर बल देना;
- अभिलेखागारों में संरक्षित अभिलेखों/पाण्डुलिपियों का नवीनतम तकनीक से सम्यक् प्रबन्ध, संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन कार्य, आवश्यकतानुसार अभिलेखों/प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों/व्यक्तिगत अधिकार में संरक्षित महत्वपूर्ण अप्रचलित अभिलेखों/प्रपत्रों का अभिलेखागार में स्थानान्तरण करना;
- प्रदर्श कला – नृत्य, संगीत, गायन के विभिन्न रूपों का संरक्षण और संवर्धन;

- जीवन्त रंगमंच आन्दोलन को बढ़ावा देना;
- दृश्य कला एवं ललित कला के विभिन्न रूपों का संरक्षण एवं संवर्धन;
- लुप्तप्राय और संकटग्रस्त कला रूपों विशेष रूप से जनजातीय कला एवं लोक कला का संरक्षण एवं संवर्धन;
- प्राचीन गुरू–शिष्य परम्परा को प्रोत्साहन;
- 'अवध', 'ब्रज', बुन्देलखण्ड, पश्चिमांचल एवं पूर्वांचल क्षेत्र की कला एवं संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन;
- 'बौद्ध', 'जैन', 'सूफी', 'भक्ति', 'शाक्त', 'नाथ', 'कबीरपंथ' के आधारभूत तत्वों का सरंक्षण एवं संवर्धन तथा आधुनिक काल के संदेशों का सम्यक् प्रचार प्रसार;
- स्थानीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, प्रदर्शन हेतु जनपद, प्रखंड, पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना।

5.2 सांस्कृतिक मानचित्रण

उत्तर प्रदेश के विशाल और व्यापक सांस्कृतिक कैनवास को एक उद्देश्यपूर्ण सांस्कृतिक मानचित्र में अंकित करना आवश्यक है। इस सांस्कृतिक मानचित्रण अर्थात् सांस्कृतिक सम्पत्तियों और संसाधनों का डाटाबेस के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति से संबंधित समस्त सूचनाएं जैसे प्रदेश की प्रदर्श कला, दृश्य कला, ललित कला के विविध रूप, स्मारक, पुरावशेष, मूर्तियाँ, ऐतिहासिक लेख/पाण्डुलिपियाँ, कलाकृतियाँ, प्राचीन मंदिर, मेले, त्योहार, पारम्परिक जलाशय, पारम्परिक खेल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं राष्ट्रीय आन्दोलन से संबंधित स्थान आदि के सम्बंध में सूचनाएं संग्रहीत की जायेंगी।

सांस्कृतिक मानचित्रण का प्रयोग आने वाली पीढ़ियों हेतु सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, सांस्कृतिक जीवंतता निर्मित करने के साथ–साथ कलाकारों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराते हुए उनके सशक्तीकरण में भी किया जा सकता है। सांस्कृतिक मानचित्रण निर्मित करते हेतु निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :–

- क्रमश : पंचायत, प्रखण्ड, जनपद, मण्डल से राज्य स्तर तक राज्यव्यापी सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रमों तथा संस्कृति एवं कला के प्रत्येक क्षेत्र में संस्कृति के ज्ञान केन्द्रों (व्यक्तिगत/संस्था/गैर सरकारी संगठन/शासकीय विभाग) के सक्रिय सहयोग से सांस्कृतिक मानचित्रण तैयार करना;
- सांस्कृतिक सम्पत्तियों और संसाधनों जैसे कलारूपों, व्यक्तिगत कलाकारों, कलाकारों के समूह, सांस्कृतिक संगठनों, सांस्कृतिक उत्पादों, मेले, त्योहारों आदि के डेटाबेस हेतु एक वेब पोर्टल तैयार करना;
- कलाकारों और समस्त हितधारकों को ई–सामग्री के रूप में कला रूपों के माड्यूल उपलब्ध कराना।

5.3 सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन

प्रदेश में सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन की असीम सम्भावनाएँ हैं क्योंकि प्रदेश के विविध स्थल विशिष्ट संस्कृति, रहस्यवाद, अध्यात्मवाद, स्मारकों, विविध कलारूपों, मंदिरों, तीर्थस्थलों, पोशाकों, व्यंजनों, रंगीन त्योहारों एवं मेलों के लिये प्रसिद्ध है। अतएव प्रदेश की मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को लोकप्रिय बनाने, स्थानीय कला, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करने एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हेतु निम्नलिखित उपायों के माध्यम से सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा :–

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा भारत सरकार के क्रमशः रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सक्रिय सहयोग से प्रदेश के सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जोड़ा जाना;
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में कला एवं संस्कृति से संबंधित समस्त स्थलों का अंकन कराया जाना तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित ट्रैवल एजेंसियों का सहयोग प्राप्त करना।

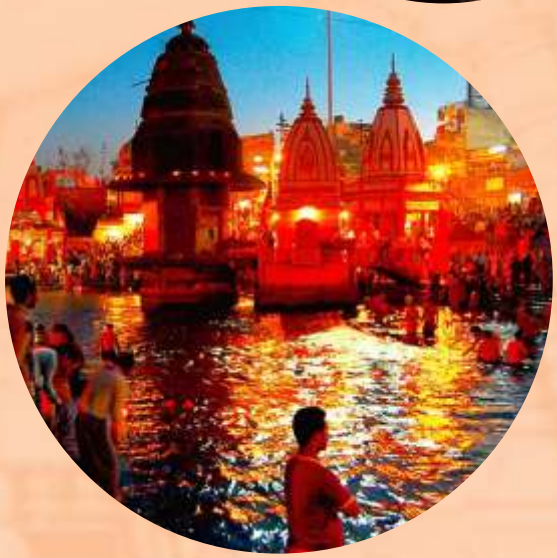

- नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग,धर्मार्थ कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग की सहायता से सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों पर स्तरीय मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित कराना;
- पर्यटकों को मथुरा की 'होली', 'कृष्णोत्सव', वाराणसी का 'दशहरा', 'देव दीपावली', 'बुढ़वा मंगल', प्रयागराज का 'माघ' एवं 'कुम्भ', अयोध्या का 'रामायण मेला', 'दीपोत्सव', गोरखपुर की 'मकर संक्रान्ति', मेरठ का 'नौचन्दी मेला' का आनन्द लेने हेतु प्रोत्साहित करना तथा रामायण सर्किट, चित्रकूट, नैमिषारण्य और बौद्ध सर्किट का अवलोकन करने हेतु भी आमंत्रित करना तथा विभाग द्वारा उपरोक्त स्थलों से संबंधित विशिष्ट अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- जनजातीय समूहों की जीवन शैली, कला एवं संस्कृति से परिचित कराने हेतु पर्यटकों को बलरामपुर, लखीमपुर, बहराइच, सोनभद्र स्थित जनजातीय ग्रामों/थारू गांवों जाने हेतु भी प्रेरित करना;
- पर्यटकों को संगीत/लोक संगीत/लोक नृत्य/हस्तशिल्प और व्यंजनों आदि से संबंधित प्रदेश के प्रसिद्ध स्थलों जैसे हरिहरपुर, आजमगढ़ (संगीत), लखनऊ (चिकन वर्क एवं नवाबी व्यंजन), सहारनपुर (काष्ठ शिल्प), मुरादाबाद (पीतल के बरतन), निजामाबाद, आजमगढ़ (काली मिट्टी के बरतन), गोरखपुर (टेराकोटा उत्पाद), वाराणसी (लकड़ी के खिलौने) के भ्रमण हेतु प्रोत्साहित किया जाना,
- धार्मिक/सांस्कृतिक गाइड पर्यटन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;
- भारत के विविध संचार माध्यम यथा– रेडियो, एफ.एम. चैनल, टेलिविजन, सिनेमा उद्योग से अपने कार्यक्रमों में राज्य की कला, संस्कृति, संरक्षित स्मारकों, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का सम्यक् उपयोग करने हेतु अनुरोध करना।

5.4 सांस्कृतिक विरासत के प्रति जनजागरूकता का विकास

मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सांस्कृतिक विरासत के प्रति जनसामान्य में अभिरूचि का सजृन/विकास किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :–

- कला एवं संस्कृति से संबंधित स्थलों हेतु 'हेरिटेज वॉक', हेरिटेज टूर', 'हेरिटेज फेस्टिवल', 'फ्रीडम वॉक', 'हेरिटेज अवार्ड्स', 'नुक्कड़ नाटक' का आयोजन तथा 'हेरिटेज बुलेटिन' का प्रकाशन;
- स्कूल/कालेज स्तर के शैक्षिक पाठ्यक्रम में 'सांस्कृतिक विरासत अध्ययन' को सम्मिलित करते हुए विद्यार्थी एवं युवाओं हेतु संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुरातात्विक स्थलों एवं ऐतिहासिक तथा स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित स्थलों के शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना;
- विश्वविद्यालय स्तर पर कला एवं संस्कृति से संबंधित अनुसंधान, शोध एवं प्रकाशन कार्य को प्रोत्साहित किया जाना;
- कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता मिशन का कियान्वयन, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यशाला का नियमित आयोजन करने पर बल देना;
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, सेमिनार का नियमित आयोजन करना तथा सम्यक् प्रचार प्रसार/सोशल मीडिया के माध्यम से इन कार्यक्रमों में समान्यजन विशेषकर विद्यार्थियों, युवाओं की सकिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

5.5 सांस्कृतिक विरासत के सम्यक् विकास हेतु वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना

मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सम्यक संरक्षण, संवर्धन हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु निम्नवत् माध्यम प्रयोग में लाये जायेंगे :–

- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0);
- कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सी0एस0आर0) के अन्तर्गत कार्पोरेट सेक्टर एवं व्यावसायिक घरानों के माध्यम से;
- व्यक्तिगत दान के माध्यम से;
- 'क्राउड फंडिग' के माध्यम से;
- अर्जित आय में वृद्धि सुनिश्चित करक;
- इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित कम्पनियों को पूँजी निवेश करने हेतु प्रोत्साहन;
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक सहयोग प्राप्त करके;
- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की केन्द्रीय वित्तीय सहायता योजना का अधिकतम उपयोग करके।

5.6 कला एवं संस्कृति को आजीविका/रोजी–रोटी से जोड़ना

कला एवं संस्कृति के सतत् विकास हेतु इसे आजीविका से जोड़ना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश उत्कृष्ट हस्तशिल्पों, कला के विविध रूपों, त्यौहारों, मेलों हेतु विश्व प्रसिद्ध है। रोजगार सृजन, स्थानीय एवं राज्य अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने हेतु प्रदेश के सांस्कृतिक उत्पादों के उत्पादन एवं मांग को प्रोत्साहित किया जाना प्रासंगिक है। इस निमित्त निम्नवत् उपाय किये जायेंगें :–

- अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक उत्पादों, कला रूपों का उत्साहपूर्वक प्रचार–प्रसार एवं इनसे संबंधित पुस्तिका (Monograph) का प्रकाशन व आवश्यकतानुसार वितरण ;
- प्रत्येक जनपद में एक विशिष्ट सांस्कृतिक स्थान को चयनित कर सांस्कृतिक उद्यमिता के विकास पर विशेष बल देते हुए स्थानीय कलाकारों, दस्तकारों, शिल्पकारों को आवश्यक प्रशिक्षण, तकनीक, ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हुए स्थानीय सांस्कृतिक व्यवसाय/उत्पादों के विकास एवं उत्पादन को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात संवर्धन विभाग के सक्रिय सहयोग से सांस्कृतिक उत्पादों के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करना ;
- कलाकारों, हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों को लोकप्रिय एवं सर्वसुलभ बनाने एवं विक्रय करने के उद्देश्य से नवीनतम तकनीक, सोशल मीडिया/किकस्टार्टर जैसे नवीन मीडिया टूल्स का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहन/आवश्यक सहायता ;
- कर छूट जैसे प्रोत्साहन के माध्यम से सामान्यजन को इन उत्पादों का उपयोग करने के लिये आकर्षित करना ;
- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार/सांस्कृतिक आयोजन के अवसर पर सांस्कृतिक उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना ;
- प्रदेश की सांस्कृतिक उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु विदेश में स्थित भारतीय दूतावास/महावाणिज्य दूतावास/उच्चायोग कार्यालयों एवं प्रवासी भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना।

5.7 रोजगारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था

कला एवं संस्कृति के विविध रूपों के संरक्षण, उन्नयन हेतु पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रोजगारपरक सांस्कृतिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित उपाय किये जायेंगें :–

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से शिल्पकारों, कारीगरों, बुनकरों, श्रमिको, कलाकारों विशेषकर महिलाओं, दिव्यांगों, युवाओं, विद्यार्थियों को कला एवं संस्कृति के विविध रूपों यथा–पुरातत्व, संग्रहालय, अभिलेखागार, ललित कला, प्रदर्श कला, दृश्य कला से संबंधित रोजगारपरक व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाना;
- कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों, कार्मिकों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, वार्ताओं का नियमित आयोजन किया जाना।

5.8 सांस्कृतिक संस्थाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना

- उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति के उन्नयन हेतु संस्कृति विभाग एवं इसके अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं यथा–उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, भारतेन्दु नाट्य अकादमी आदि के अतिरिक्त अनेक व्यक्ति, समूह, संगठन गम्भीरतापूर्वक प्रयत्नशील हैं।
- संस्कृति विभाग द्वारा ऐसे व्यक्तियों, समूहों, संगठनों को आवश्यक तकनीकी सहायता, विषय विशेषज्ञता, मार्गदर्शन प्रदान करने के अतिरिक्त संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कला एवं संस्कृति से संबंधित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

5.9 महिला, युवा, दिव्यांग, वृद्ध एवं ट्रान्सजेण्डर का सशक्तिकरण

- संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार दिव्यांग, महिला, ट्रान्सजेण्डर कलाकारों की सहभागिता सुनश्चित की जाएगी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की थीम भी संदर्भित श्रेणी के सशक्तीकरण पर आधारित करने का प्रयास किया जायेगा।

5.10 सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहन

सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों का नियमित आयोजन आवश्यक है क्योंकि ऐसे कार्यक्रम संस्कृति एवं कला के विभिन्न रूपों के सह–अस्तित्व की भावना को एकीकृत और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान–प्रदान को सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत् प्रयास किये जायेंगें –

- सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे 'यूनेस्को , राष्ट्रीय संस्थाओं यथा– भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय संग्रहालय, कोलकाता, ट्रस्ट यथा–टाटा ट्रस्ट, आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर, गैर सरकारी संगठनों यथा–नेशनल सेन्टर फार परफार्मिंग आर्ट्स, कलामंदिर, 'स्पिक मैके', 'इण्टेक 'आदि से सक्रिय सहयोग एवं व्यवहारिक अनुभवों का आदान–प्रदान;
- भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद, भारत सरकार एवं विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, भारतीय उच्चायोग, महावाणिज्य दूतावास कार्यालयों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश की सांस्कृतिक मंडलियों, रंगमंच समूहों के माध्यम से विभिन्न देशों में प्रदर्शनी, प्रदर्श, दृश्य, ललित कला कार्यक्रमों का आयोजन;
- 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के भागीदार राज्यों–अरूणाचल प्रदेश, मेघालय के मध्य सक्रिय सांस्कृतिक आदान–प्रदान सुदृढ़ करना एवं इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के साथ भी द्विपक्षीय सांस्कृतिक समझौता करना।

5.11 कलाकार–कल्याण

कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत कलाकारों के कल्याण के प्रति प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। अतएव कलाकारों के कल्याण हेतु संस्कृति विभाग द्वारा निम्नवत् कार्य सुनिश्चित किये जायेंगें :–

- योग्य कलाकारों को छात्रवृत्ति/फेलोशिप/पुरस्कार/मान्यता प्रदान करना;
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश के कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने हेतु यथा सम्भव अवसर प्रदान करना;
- कलाकारों को उनके बौद्धिक सम्पदा अधिकार की रक्षा करने में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना,
- संस्कृति विभाग के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में कलाकारों को वरीयता देना;
- संस्कृति एवं कला के विविध रूपों से संबंधित कलाकारों के कल्याण हेतु 'कलाकार कल्याण कोष' की स्थापना;
- संस्कृति विभाग द्वारा संचालित वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों हेतु मासिक पेंशन योजना के अन्तर्गत अधिक संख्या में वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को सम्मिलित करना;
- उत्तर प्रदेश से संबंधित समस्त कलाकारों को ई–कांटेंट के रूप में आर्ट फॉर्म माड्यूल उपलब्ध कराना।

6. विकास पहल

- नीति का उद्देश्य निम्नलिखित पहलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सुनियोजित सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना है : –
- **1. पहल और अनुमेय घटकों की परिभाषा**

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है:–

- **1.1 संग्रहालय**
- संग्रहालय में निम्नलिखित घटक शामिल हो सकते हैं –
- प्रदर्शनी हॉल (थीम आधारित)
- गतिशील प्रदर्शनियों के लिए आच्छादित/अर्ध–आच्छादित प्रदर्शनी स्थान।
- ऑडिटोरियम / कन्वेंशन हॉल
- एआर/वीआर प्रदर्शनी स्थान
- ऑडियो/वीडियो रूम/स्टूडियो रूम
- कलाकृतियों एवं वस्तुओं के भण्डारण हेतु कक्ष
- कलात्मक गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए खुला स्थान
- वाचनालय / पुस्तकालय
- संरक्षण प्रयोगशाला
- कैफेटेरिया/फूड कोर्ट/ थीम आधारित रेस्टोरेंट
- स्मृति चिन्ह/सांस्कृतिक उत्पादों की दुकानें

- कार्यालय कक्ष
- संग्रहालय भवन IoT (आईओ.टी.) सुविधा/तकनीक से युक्त होना चाहिए
- कोई अन्य सहायक घटक

1.2 अभिलेखागार

- अभिलेख कक्ष
- फयूमिगेशन कक्ष
- रिपेयरिंग कक्ष
- माइक्रोफोटोग्राफी/कम्प्यूटर स्केनिंग कक्ष
- शोध कक्ष
- प्रकाशन कक्ष
- पुस्तकालय
- प्रदर्शनी हॉल
- ऑडिटोरियम/कन्वेन्शन हॉल
- ऑडियो/वीडियो रूम/स्टूडियो रूम
- एआर/वीआर प्रदर्शनी स्थान
- भण्डार कक्ष
- कैफेटेरिया/फूड कोर्ट/ थीम आधारित रेस्टोरेंट
- स्मृति चिन्ह/सांस्कृतिक उत्पादों की दुकानें
- कार्यालय कक्ष

- कलात्मक गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए खुला स्थान
- अभिलेखागार भवन IoT (आईओ.टी.) सुविधा/तकनीक से युक्त होना चाहिए
- कोई अन्य सहायक घटक

1.3 सांस्कृतिक केन्द्र

सांस्कृतिक केन्द्र लोककलाओं/प्रदर्श कलाओं/ललित कलाओं, शिल्प कलाओं एवं सांस्कृतिक उत्पादों के संरक्षण, संवर्धन, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादन एवं विपणन के उद्देश्य से स्थापित सांस्कृतिक केन्द्र में निम्नलिखित घटक सम्मिलित हो सकते है।

- आच्छादित/अर्ध–आच्छादित प्रदर्शन स्थान
- ऑडिटोरियम/ओपेन एयर थियेटर
- कला संरक्षण कक्ष
- कलाकारों, शिल्पकारों, कारीगरों आदि हेतु सांस्कृतिक उत्पाद हेतु प्रशिक्षण स्थल
- कारीगरों के लिए प्रदर्शन इकाइयाँ
- कलाकारों के लिए अन्य प्रशिक्षिण सुविधाएँ जैसे– कला स्टूडियो आदि
- कैफेटेरिया / फूड कोर्ट
- विशेष आयोजनों के लिए खुली जगह
- कार्यालय कक्ष

1.4 आर्ट गैलरी/डिजिटल आर्ट गैलरी

- सांस्कृतिक केन्द्र IoT (आईओ.टी.) सुविधा/तकनीक से युक्त होना चाहिए
- कोई अन्य सहायक घटक

कला के प्रदर्शक, कलात्मक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान के उद्देश्य से आर्ट गैलरी में निम्नलिखित घटक सम्मिलित हो सकते हैं–

- प्रदर्शनी हॉल
- गतिशील प्रदर्शनियों के लिए आच्छादित/अर्ध–आच्छादित प्रदर्शनी स्थान
- लर्निंग स्टूडियो
- आयोजनों/प्रदर्शनियों के लिए ओपन एयर थिएटर
- कैफेटेरिया
- डिजिटल गैलरी के लिए तकनीकी और डिजिटल प्रावधान
- आर्ट गैलरी/डिजिटल गैलरी IoT (आई.ओ.टी.) सुविधा/तकनीक से युक्त होनी चाहिए
- कार्यालय कक्ष
- कोई अन्य सहायक घटक

1.5 व्याख्या केन्द्र

मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व और अर्थ को सम्प्रेषित करने एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रति जनजागरूकता सृजित करने उद्देश्य से व्याख्या केन्द्र में निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं:–

- प्रदर्शनी हॉल (थीम आधारित)
- ऑडिटोरियम / कन्वेंशन स्पेस
- ऑडियो/वीडियो रूम
- एआर/वीआर प्रदर्शनी स्थान
- कलात्मक गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए खुला स्थान
- कैफेटेरिया/फूडकोर्ट
- स्मृति चिन्ह एवं सांस्कृतिक उत्पादों की दुकानें
- कार्यालय कक्ष
- व्याख्या केन्द्र IoT (आई.ओ.टी.) सुविधा/तकनीक से युक्त है)
- कोई अन्य सहायक घटक

सभी पहलों के तहत गैर–अनुमेय घटक

- पुनर्वास और पुनर्वास परियोजना
- मनोरंजन पार्क/ थीम पार्क परियोजना

2. परियोजना श्रेणियां

- मेगा कल्चर प्रोजेक्ट्स– कोई भी या सभी उपर्युक्त विकास पहल (न्यूनतम एक घटक यानी संग्रहालय/अभिलेखागार/सांस्कृतिक केंद्र/आर्ट गैलरी/डिजिटल गैलरी/व्याख्या केंद्र) जिसका आकार 300 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक है, उसे "मेगा संस्कृति परियोजना" माना जाएगा। परियोजना लागत में आवेदक द्वारा किए जाने वाले/पहले से किए जाने वाले सभी पूंजीगत निवेश शामिल हो सकते हैं, जिसमें भूमि की लागत सम्मिलित नही है।
- संस्कृति परियोजनाएं (Culture Project)– उपर्युक्त विकास पहलों में से कोई भी अर्थात संग्रहालय/अभिलेखागार/सांस्कृतिक केंद्र/आर्ट या डिजिटल गैलरी/व्याख्या केंद्र जिसका आकार 100 करोड़ रुपये से अधिक या 300 करोड़ रुपये से कम है, को "संस्कृति परियोजना" माना जाएगा।
- मेगा कल्चर/संस्कृति परियोजना श्रेणी के लिए न्यूनतम परियोजना लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर है।

अन्य परियोजना श्रेणियां:

- लोककथाओं के संरक्षण के लिए केंद्रों का विकास
- कला और संस्कृति में कौशल विकास और उद्यमिता केंद्र
- सांस्कृतिक क्षेत्र में स्टार्ट–अप का विकास

- सार्वजनिक कला
- ऐतिहासिक भवनों का परिरक्षण

3. पात्रता मानदंड

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट या कम्पनी;
2. विभाग को आवेदन जमा करने से पूर्व आवेदक (ओं) को कम से कम तीन साल से अस्तित्व में होना चाहिये
3. आवेदक को सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि का होना चाहिए, जो कला एवं संस्कृति के विविध क्षेत्रों– नृत्य, नाटक, रंगमंच, संगीत, ललित कला, दृश्य कला, प्रदर्श कला के सम्मुनत हेतु न्यूनतम 03 वर्षो से कार्यरत।

4. प्रोत्साहन तालिका

उत्तर प्रदेश के समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्नवत प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा–

क्र.सं.	श्रेणी	विवरण	प्रोत्साहन	संदर्भ नीति के अनुसार प्रोत्साहन	टिप्पणी/स्त्रोत
1.	संग्रहालय, अभिलेखागार, सांस्कृतिक केन्द्र, आर्ट गैलरी/ डिजिटल आर्ट गैलरी, व्याख्या केन्द्र के लिए मेगा कल्चर प्रोजेक्ट	इस योजना के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये या उससे अधिक की परियोजना को 'मेगा कल्चर प्रोजेक्ट' के रूप में मान्यता दी जायेगी। मेगा कल्चर प्रोजेक्ट की परिभाषा विकास पहल – परियोजना श्रेणियों में उल्लिखित है। पात्रता मापदंड: • भारत में विधि द्वारा स्थापित रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट या कम्पनी। • विभाग में आवेदन जमा करने से पूर्व आवेदक को कम से कम 03 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में होना चाहिए।	एकमुश्त पूंजी निवेश की धनराशि पर 10% सब्सिडी (अधिकतम रू0 30.00 करोड़)	परियोजना प्रारम्भ होने के दिवस से 03 वर्ष के भीतर परियोजना हेतु भूमि/भवन के क्रय/पट्टा /कार्यालय का स्थान आई0टी0 /आई0टी0 ई0एस0 उपयोग हेतु स्टांप शुल्क में 100% छूट	उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017–2022
			स्टांप शुल्क में 100% की छूट परियोजना शुरू होने की तिथि से अगले 10 वर्ष तक एस0जी0 एस0टी0 में 100% प्रतिपूर्ति।	कुल वैट और सी0एस0 टी0 अथवा राज्य सरकार के लेखे में जमा की गयी कुल धनराशि पर जी0 एस0टी0 में निम्नवत छूट– • लघु उद्योगों के लिए 05 वर्ष तक 90% • मध्यम उद्योगों के लिए 05 वर्ष तक 60%	औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, उत्तर प्रदेश 2017 – वित्तीय प्रोत्साहन

		• आवेदक को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का होना चाहिए जो कला एवं संस्कृति के विविध क्षेत्रों–नृत्य, संगीत, गायन, रंगमंच, प्रदर्श कला, दृश्य कला, ललित कला के समुन्नत हेतु कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हो।		• वृहद उद्योगों के लिए 05 वर्ष तक 60% • मेगा/मेगा प्लस/सुपर मेगा श्रेणी के उद्योगों के लिए 10 वर्ष तक 70% उपरोक्त सुविधाएं आवेदक द्वारा वार्षिक 20% पूंजी निवेश अथवा वास्तविक जमा किये गये कर, जो भी न्यूनतम हो, पर आधारित होगी।	
			आवेदक को भू उपयोग परिवर्तन एवं एफ0ए0आर0 (Floor Area Ratio) में परिवर्तन की अनुमति। यह राज्य के भीतर आवेदक (ओं) की मौजूदा स्वामित्व वाली भूमि/ दीर्घावधि पट्टे के स्वामित्व वाली भूमि हेतु अनुमन्य होगी। संस्कृति विभाग आवेदक (ओं) को भूमि उपयोग एवं एफ0ए0आर0 में		भूमि उपयोग रूपांतरण नियम 2014 एवं संशोधन, 2016–नगर एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र.

			परिवर्तन हेतु सम्बंधित सरकारी विभागों की सहायता से सहयोग प्रदान करेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि का उपयोग जन एवं विशिष्ट जन सुविधाएं, सेवाएं एवं आवश्यकताएं (यातायात एवं आवागमन) के लिए किया जायेगा।		
			परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि से अगले 10 वर्ष तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 100% छूट	नई आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0 इकाइयों के लिए परियोजना प्रारम्भ होने के दिवस से 10 वर्ष हेतु इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 100% की प्रतिपूर्ति	उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017–2022

2.	संग्रहालय, अभिलेखागार, सांस्कतिक केन्द्र, आर्ट गैलरी/डिजिटल आर्ट गैलरी, व्याख्या केन्द्र के लिए मेगा कल्चर प्रोजेक्ट	100 करोड़ रुपये या उससे अधिक और 300 करोड़ रुपये से कम की परियोजना को इस योजना के तहत 'संस्कृति परियोजना' के रूप में मान्यता दी जायेगी। संस्कृति परियोजना की परिभाषा विकास पहल – परियोजना श्रेणियों में उल्लिखित है। पात्रता मापदंड: • भारत में विधि द्वारा स्थापित रजिस्टर्ड, सोसाइटी या ट्रस्ट या कम्पनी। • विभाग में आवेदन जमा करने से पूर्व आवेदक को कम से कम 03 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में होना चाहिए • आवेदक को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का होना चाहिए जो कला एवं संस्कृति के विविध क्षेत्रों– नृत्य, संगीत, गायन, रंगमंच, प्रदर्श कला, दृश्य कला, ललित कला के समुन्नत हेतु कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हो।	स्टांप शुल्क में 50% की छूट	परियोजना प्रारम्भ होने के दिवस से 03 वर्ष के भीतर परियोजना हेतु भूमि/भवन के क्रय/ पट्टा/कार्यालय का स्थान आई0टी0/आई0टी0 ई0एस0 प्रयोग हेतु स्टांप शुल्क में 100% छूट	उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017–2022
			एकमुश्त पूँजी निवेश की धनराशि पर 10% सब्सिडी (अधिकतम रू0 30.0 करोड़)		
			परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि से अगले 10 वर्ष तक एस0जी0एस0टी0 में 50% की प्रतिपूर्ति	कुल वैट और सी0एस0 टी0 अथवा राज्य सरकार के लेखे में जमा की गयी कुल धनराशि पर जी0एस0टी0 में निम्नवत छूट– • लघु उद्योगों के लिए 05 वर्ष तक 90% • मध्यम उद्योगों के लिए 05 वर्ष तक 60% • वृहद उद्योगों के लिए 05 वर्ष तक 60% • मेगा/मेगा प्लस/सुपर मेगा श्रेणी के उद्योगों • के लिए 10 वर्ष तक 70%	उत्तर प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 – वित्तीय प्रोत्साहन

				उपरोक्त सुविधाएं आवेदक द्वारा वार्षिक 20% पूंजी निवेश अथवा वास्तविक जमा किये गये कर, जो भी न्यूनतम हो, पर आधारित होगी।	
			आवेदक को भू उपयोग परिवर्तन एवं एफ0ए0 आर0 (Floor Area Ratio) में परिवर्तन की अनुमति। यह राज्य के भीतर आवेदक (ओं) की मौजूदा स्वामित्व वाली भूमि/ दीर्घावधि पट्टे के स्वामित्व वाली भूमि हेतु अनुमन्य होगी। संस्कृति विभाग आवेदक (ओं) को भूमि उपयोग एवं एफ0 ए0आर0 में परिवर्तन हेतु सम्बंधित सरकारी विभागों की सहायता से सहयोग प्रदान करेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए		भूमि उपयोग परिवर्तन नियम 2014 एवं संशोधन, 2016 – नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.

			प्रस्तावित भूमि का उपयोग जन एवं विशिष्ट जन सुविधाएं, सेवाएं एवं आवश्यकताएं (यातायात एवं आवागमन) के लिए किया जायेगा।		
			परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि से अगले 10 वर्ष तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 100% की छूट	नवीन आई0टी0/ आई0टी0ई0एस0 इकाइयों के लिए परियोजना प्रारम्भ होने के दिवस से 10 वर्ष तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 100% की प्रतिपूर्ति	उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017–2022
3.	लोककथाओं के संरक्षण के लिए केंद्रों का विकास	इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में लोक कथाओं के संरक्षण के लिए केंद्रों को विकसित करना है जिसके अन्तर्गत किसी विशेष संस्कृति की परम्पराओं आदि का उल्लेख होता है जो इस विशेष संस्कृति से सम्बंधित व्यक्तियों/समूहों द्वारा संरक्षित	एकमुश्त पूंजी निवेश की धनराशि पर 10% सब्सिडी (अधिकतम रू0 30.00 लाख)	परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि से अगले 10 वर्ष तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 100% की छूट नवीन आई0टी0/ आई0टी0ई0एस0 इकाइयों के लिए	उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017–2022

		किया जाता है। इन परंपराओं में संगीत, कहानियों, मिथकों आदि के अलावा गद्य और पद्य दोनों कथाएं सम्मिलित हैं। पात्रता मापदंड : • भारत में विधि द्वारा स्थापित रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट या कम्पनी। • विभाग में आवेदन जमा करने से पूर्व आवेदक को कम से कम 10 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में होना चाहिए आवेदक को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का होना चाहिए जो कला एवं संस्कृति के विविध क्षेत्रों– नृत्य, संगीत, गायन, रंगमंच, प्रदर्श कला, द्श्य कला, ललित कला के समुन्नत हेतु कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हो। नये निर्माण/नये निवेश वाली परियोजनाएं जहां पूंजीगत निवेश से सम्बंधित परियोजना लागत रू0 3.00 करोड़ से अधिक है।	स्टांप शुल्क में 25% छूट	परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष के भीतर परियोजना हेतु भूमि/ भवन के क्रय/पट्टा कार्यालय के स्थान हेतु स्टांप शुल्क में 100% की छूट	उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017–2022

4.	कला और संस्कृति से सम्बंधित कौशल विकास और उद्यमिता केंद्रों की स्थापना	इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं कलाओं के विभिन्न रूपों के कौशल विकास हेतु केन्द्रों की स्थापना की जानी है। इन केन्द्रों द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें उद्यमिता पर विशेष बल दिया जायेगा, भी सम्मिलित है। वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को उनकी विशिष्ट कलाओं में व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें जीवकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने का प्रयास किया जायेगा। पात्रता मापदंड : • भारत में विधि द्वारा स्थापित रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट या कम्पनी। • विभाग में आवेदन जमा करने से पूर्व आवेदक को कम से कम 10 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में होना चाहिए। आवेदक को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का होना चाहिए जो	एकमुश्त पूंजी निवेश की धनराशि पर 10% सब्सिडी (अधिकतम रू0 50.00 लाख)	नवीन आई0टी0/ आई0टी0ई0एस0 इकाइयों के लिए परियोजना प्रारम्भ होने के दिवस से 10 वर्ष तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 100% की प्रतिपूर्ति	उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017–2022
			परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि से अगले 10 वर्ष तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 100% की छूट		
			स्टांप शुल्क में 25% की छूट	परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष के भीतर परियोजना हेतु भूमि/भवन के क्रय/ पट्टा/कार्यालय के स्थान हेतु स्टांप शुल्क में 100% की छूट	उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017–2022

		कला एवं संस्कृति के विविध क्षेत्रों– नृत्य, संगीत, गायन, रंगमंच, प्रदर्श कला, द्श्य कला, ललित कला के समुन्नत हेतु कम से कम तीन वर्षो से कार्यरत हो। योजना की लागत न्यूनतम रू0 5.00 करोड होना आवश्यक है जिसमें नवीन निर्माण एवं निवेश सम्मिलित हैं।			
5.	सांस्कृतिक क्षेत्र में स्टार्ट–अप का विकास	योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों हेतु निम्नलिखित गतिविधियां सम्मिलित हैं: • कला के विविध रूपों और कलाकृतियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया, • सांस्कृतिक संस्थानों हेतु डिजिटलीकरण, • सांस्कृतिक क्षेत्र में अधोलिखित उत्पादों/ सेवाओं को उपलब्ध	एकमुश्त पूंजी निवेश की धनराशि पर 10% सब्सिडी (अधिकतम रू0 05.00 लाख) एक साथ रखे। संस्कृति विभाग द्वारा सम्बंधित विभागों से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान किया जायेगा।		

		कराना यथा– सांस्कतिक क्षेत्र हेतु ऑनलाइन टिकट बुकिंग/हस्तशिल्प/हथकरघा दान संग्रह हेतु पोर्टल या इस प्रकार के क्रियाकलाप जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति प्रोत्साहित हो सके। पात्रता मापदंड: • सांस्कृतिक क्षेत्र से सम्बंधित स्टार्टअप पात्र होंगे। • योजना की न्यूनतम लागत 50 लाख रुपये होना आवश्यक है।			
6.	सार्वजनिक कला	सार्वजनिक कला सार्वजनिक स्थानों पर कला के अंकन/चित्रण/स्थापन से सम्बंधित है जिसके अन्तर्गत बाहरी दीवारों पर, मेट्रो स्टेशनों पर, अंडर पास, चौराहे आदि पर उक्त कलाओं को प्रदर्शित करना है। इस निमित्त निजी संगठनों और व्यक्तियों को सक्रिय योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।	संस्कृति विभाग द्वारा सम्बंधित विभागों से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान किया जायेगा।		

7.	ऐतिहासिक भवनों का परिरक्षण/ संरक्षण	ऐतिहासिक भवनों की श्रेणी में निम्नलिखित भवन सम्मिलित होंगे– • संरक्षण क्षेत्रों में स्थित सूचीबद्ध भवन। • भवन जो वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक रुचि के हैं और जिन्हें स्थानीय प्राधिकरण की विकास योजना में सम्मिलित किया जाता है। • राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर स्थापत्य और ऐतिहासिक रुचि के भवन, उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र और विश्व धरोहर स्थल।			
8.	सांस्कृतिक क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित संगठनों का विकास	सांस्कृतिक क्षेत्र में संगठनों के आधार पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) विकसित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। IoT कंप्यूटर आधारित उपकरणों से संबंधित है जो रीयल–टाइम डेटा ट्रांसफर करते हैं। डेटा का उपयोग मौजूदा ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षण के लिए किया जाएगा जिसमें विरासत स्थल, संग्रहालय, हाट और सांस्कृतिक केंद्र आदि शामिल होंगे।	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से संस्कृति विभाग द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया जायेगा।		

		स्मार्ट सांस्कृतिक प्रणालियों को विरासत स्थलों, हाटों, सांस्कृतिक केंद्रों, सांस्कृतिक विरासत के डिजिटलीकरण, सांस्कृतिक विरासत के लिए इंटरैक्टिव उपायों आदि पर क्रियान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। पात्रता मापदंड : • संस्था को इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) आधारित समाधान से संबंधित कम से कम एक परियोजना के कार्यान्वयन का पूर्व अनुभव होना चाहिए। इसे संबंधित प्राधिकारी/ग्राहक से अनुभव प्रमाण पत्र के साथ विधिवत समर्थित होना चाहिए • संगठन को भारत में लागू कानून के तहत पंजीकृत/निगमित होना चाहिए।			

5. संस्कृति नीति के सम्यक् कियान्वयन हेतु राज्य के आय–व्ययक में पृथक लेखाशीर्षक सृजित कराकर, उसमें प्राविधानित धनराशि से अनुदान एवं कलाकार कल्याण कोष का संचालन आदि कार्य किये जायेंगे।
6. संस्कृति विभाग द्वारा इस नीति के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना/योजना सम्बंधी प्रस्ताव हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं को सरलीकृत करते हुए नियमानुसार अनुमोदनोपरान्त (अनुमोदन प्रक्रिया– संलग्नक–1 एवं 2) समयबद्ध स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा इस हेतु संस्कृति विभाग में सिंगल विंडो क्लीयरेंस पटल की स्थापना एवं नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे।
7. संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य संस्कृति नीति – 2021 के समग्र कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी होगा।

8. कार्यान्वयन तंत्र

- संस्कृति नीति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृति निदेशालय के मौजूदा तंत्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा। संस्कृति नीति के सम्यक् कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अन्य शासकीय विभागों से आवश्यकतानुसार सक्रिय सहयोग भी प्राप्त किया जायेगा।

9. संस्कृति नीति की वैधता

- वर्तमान नीति की आधिकारिक अधिसूचना की तिथि से कम से कम दस वर्ष (10) अवधि के पश्चात की समीक्षा की जा सकती है।

अनुमोदन प्रक्रिया

1. परियोजना का आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया अधिशासी समिति के समक्ष आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित आवश्यक प्रपत्र जमा किये जायेंगे :–

- आवेदक को परियोजना का विस्तृत डी0पी0आर0 , जिसमें परियोजना की थीम, भवन की डिजाइन, औचित्य, प्रस्तावित प्रदर्शन व्यवस्था, परियोजना के विभिन्न चरण, ब्रान्डिंग एवं मार्केटिंग योजना, संस्था का चार्ट, भवन का बाहरी एवं भीतरी डिजाइन आदि जमा करना होगा।
- डी0पी0आर0 में प्रस्तावित प्रदर्शनी से सम्बन्धित सभी कलात्मक कार्यों/कलाकृतियों (यदि कोई हो), जिसे आवेदक सम्पूर्ण भवन में प्रदर्शित करना चाहता हो एवं कलाकृतियों की विश्वसनीयता के स्वामित्व से सम्बन्धित सभी सूचनायें डी0पी0आर0 में उपलब्ध करायी जायेंगी।
- वीथिकाओं के सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के साथ–साथ आरक्षित संकलन के आधुनिकीकरण की जानकारी डी0पी0आर0 में उपलब्ध कराया जाना होगा।
- इसके साथ ही डी0पी0आर0 में उक्त स्थान पर आने वाले पर्यटकों से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी तथा परियोजना लागू होने के उपरान्त होने वाले बदलाव की भी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- डी0पी0आर0 किसी प्रतिष्ठित संस्था अथवा एजेन्सी द्वारा तैयार किया जायेगा।
- आवेदन पत्रों की छटनी राज्य सरकार द्वारा गठित विभागीय अधिशासी समिति द्वारा की जायेगी।
- पूर्व में अनुमोदित डी0पी0आर0 में उल्लिखित बी0ओ0क्यू0 नियमों एवं शर्तों में भविष्य में किसी भी

प्रकार के विचलन/परिवर्तन की स्थिति में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संस्था को संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा गठित अधिशासी समिति से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- आवेदक द्वारा पिछले 03 वित्तीय वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट एवं आय–व्यय उपलब्ध कराना होगा।
- भूमि के स्वामित्व/दीर्घ अवधि पट्टा एवं अधिग्रहण से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों की अभिप्रमाणित प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद)।
- आवेदक के भूमि की रजिस्ट्री की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- आवेदक के जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।

1.2 अधिशासी समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन

परियोजना का आवेदन पत्र समस्त प्रपत्रों को संलग्न कर अधिशासी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा (समिति का पूर्ण विवरण एवं उत्तरदायित्व हेतु संलग्नक–2 देखें)। समिति परियोजना का मूल्यांकन कर उसमें यथावश्यक संस्तुति के साथ उच्चानुमोदन हेतु अग्रसारित करेगी। अनुपयुक्त पाये गये आवेदनों को निरस्त किए जाने का पूर्ण अधिकार समिति के पास होगा। आवेदक द्वारा किसी एक श्रेणी में या सभी श्रेणी में या किसी प्रोजेक्ट की किसी विशिष्ट श्रेणी में उल्लिखित कोई एक या सभी लाभ जो इस नीति द्वारा प्रदत्त हैं, प्राप्त किये जा सकेंगे।

1.3 परियोजना का अनुमोदन (उपयुक्तता के अनुसार)

परियोजना का प्रस्ताव अधिशासी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा (विस्तृत विवरण एवं समिति के मुख्य उत्तरदायित्वों हेतु संलग्नक देखें)। विचार विमर्श एवं मूल्यांकन के उपरान्त अधिशासी समिति परियोजना के प्रस्ताव को अपनी संस्तुति के साथ अनुमोदन हेतु अग्रसारित करेगी। अनुपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति को होगा। आवेदक द्वारा नीति के किसी एक भाग में या सम्पूर्ण नीति में उपलब्ध कराये गये प्राविधानों का किसी एक परियोजना में लाभ लिया जा सकेगा। परियोजना का अनुमोदन उपयुक्तता के अनुसार किया जायेगा।

अधिशासी समिति द्वारा उपयुक्त पायी गयी परियोजनाओं के सफल मूल्यांकन के पश्चात मा0 संस्कृति मंत्री, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 सरकार के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं राज्य सरकार हेतु अग्रसारण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में शीर्ष समिति का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। संस्कृति नीति में उपलब्ध कराये गये प्रोत्साहन के आधार पर परियोजना का अनुमोदन एवं मूल्यांकन किया जायेगा। परियोजना के अनुमोदनोपरान्त संस्कृति विभाग अथवा राज्य का कोई अन्य विभाग आवेदक के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

अधिशासी समिति

संलग्नक –2

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए गये आवेदन पत्रों के मूल्यांकन हेतु गठित अधिशासी समिति की संरचना निम्नवत होगी :–

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0शासन	अध्यक्ष
2.	निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	उपाध्यक्ष
3.	निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ	सदस्य
4.	निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ	सदस्य
5.	वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
6.	विषय विशेषज्ञ	सदस्य
7.	सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	नोडल अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य सचिव

अधिशासी समिति का उत्तरदायित्व

(क) आवेदकों से समन्वय स्थापित करने के पश्चात उपयुक्त पायी गई परियोजनाओं को शीर्ष समिति के मूल्यांकन एवं अनुमोदनार्थ अग्रसारित करना।

(ख) आवेदकों/संस्थाओं एवं आवेदन पत्रों के साथ संलग्न प्रपत्रों का मूल्यांकन।

(ग) आवेदको एवं राज्य के अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(घ) परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदकों/संस्थाओं की योजनाओं से सम्बन्धित स्वीकृति जारी करना।

(च) सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स का प्रभावशाली क्रियान्वयन।

शीर्ष समिति

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए गये आवेदनों के मूल्यांकन एवं अग्रसारण हेतु गठित शीर्ष समिति की संरचना निम्नवत होगी :–

1.	मा0 मंत्री, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3.	निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
4.	निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ	सदस्य
5.	निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ	सदस्य
6.	वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
7.	विषय विशेषज्ञ	सदस्य
8.	नोडल अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य सचिव

1.1 शीर्ष समिति का उत्तरदायित्वः

अधिशासी समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन।

संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश